पत्रांक--सी0टी0टी0--न्याय--4--पुनरीक्षण/2018--19/ 1819107 / 2109 /वाणिज्य कर

कार्यालय--कमिश्नर, वाणिज्य कर,उ0प्र0
(वाद अनुभाग)
लखनऊ::दिनांक:: 12 मार्च,2019

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।

कृपया मुख्यालय के परिपत्र संख्या--621 दिनांक 16.07.2007 का सन्दर्भ लेने की कृपा करें, जिसके बिन्दु संख्या--9 तथा राज्य प्रतिनिधि मैनुअल (द्वितीय संशोधित संस्करण--2004) में पुनरीक्षण निक्षेप करने हेतु मौद्रिक सीमा वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत निम्न प्रकार संशोधित की जा रही है:--

कोई विधिक बिन्दु निहित न होने पर पुनरीक्षण की कार्यवाही अपने स्तर से निक्षेप करने हेतु अधिकारियों की पुनरीक्षण प्रस्तावों के निक्षेप करने की मौद्रिक सीमा निम्न प्रकार निर्धारित की गयी है, जिसकी गणना विभाग द्वारा मानी जा रही विवादित धनराशि से की जायेगी:--

क्रमांक	अधिकारी	मौद्रिक सीमा
1	असि0कमि0 और राज्य प्रतिनिधि	रू0 50,000.00 तक
2	डिप्टी कमि0 और राज्य प्रतिनिध	रू0 1,00,000.00 तक
3	ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक)	रू0 50,00,000.00 तक
4	एडीशनल कमिश्नर ग्रेड--1	रू0 1,00,00,000.00 तक
5	कमिश्नर	रू0 1,00,00,000.00से अधिक

अस्थायी कर निर्धारण आदेश के सन्दर्भ में पुनरीक्षण कार्यवाही निक्षेप करने के लिये जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जायेगा, जिसकी कोई मौद्रिक सीमा नहीं है। पुनरीक्षण कार्यवाही निक्षेप के लिये सकारण एवं स्वतः स्पष्ट आदेश पारित किया जायेगा। यह आदेश कर निर्धारण पत्रावली में रखा जायेगा।

मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या 621 दिनांक 16.07.2007 तथा राज्य प्रतिनिधि मैनुअल (द्वितीय संशोधित संस्करण--2004) में पुनरीक्षण निक्षेप से सम्बन्धित अन्य समस्त प्रस्तर यथावत् बने रहेंगे।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए भविष्य मे पुनरीक्षण प्रस्ताव प्रेषित करें।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:--निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-- अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ
2-- एडीशनल कमिश्नर(विधि) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
3-- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
4-- ज्वाइन्ट कमिश्नर(आई0टी0) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की परिपत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
5-- समस्त डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेन्ट कमिश्नर राज्य एवं प्रतिनिधि, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,
6-- सम्बन्धित पटल सहायक को 20 अतिरिक्त प्रतियों सहित।

(भूपेन्द्र शुक्ल)
ज्वाइन्ट कमिश्नर(वाद) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।